-39-

राजबाला वर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के मुख्य सचिव
Rajbala Verma, I.A.S.
Chief Secretary to Government

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
राँची–834004, झारखण्ड
Government of Jharkhand
Ranchi-834 004, Jharkhand

पत्रांक 907 / सी.एस.
दिनांक 13/4/17

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त / सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी /
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, राँची / धनबाद / देवघर,
उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार।

विषय :– राज्य कर्मियों की प्रोन्नति की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–3804, दिनांक 08.07.2011 के संदर्भ में कंडिका–2(ख) में यह उल्लेखित है कि – "इस समस्या को दृष्टिपथ में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि किसी वर्ष की चारित्री अनुपलब्ध होने एवं उसके कारण प्रोन्नति लंबित रहने की स्थिति में संबंधित कर्मी के वर्त्तमान नियंत्रण पदाधिकारी से विशेष चारित्री लिखने के लिए आदेश देकर उपलब्ध करा ली जाय जो विशेष चारित्री अनुपलब्ध चारित्री वर्ष के लिए मान्य होगी।"

उक्त के क्रम में कंडिका–2(ख) को स्पष्ट एवं सरलीकृत करते हुए निम्न अनुदेश जारी किये जाते हैं – "कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या–3804, दिनांक 08.07.2011 की कंडिका–2(ख) के क्रम में विशेष चारित्री अंकित करने वाले वर्त्तमान नियंत्री पदाधिकारी को नियमित चारित्री अंकित नहीं करने के कारण अनुलब्ध चारित्री की अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम / पता के साथ यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसी विशेष चारित्री एक वर्ष के लिए ही अंकित की जाय।"

उक्त पत्र के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

विश्वासभाजन,

13.4.2017
(राजबाला वर्मा)